

सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(₹ करोड़)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	नवंबर 2023 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	नीलामी खजाना बिल (एटीबी)
1	2	3	4	5	
1	आंध्र प्रदेश	10581	1043	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	2400	5	0	3450
3	असम	6335	82	0	0
4	बिहार	9983	-	0	1200
5	छत्तीसगढ़	6716	5	1	3550
6	गोवा	869	419	0	0
7	गुजरात	12172	611	0	3000
8	हरियाणा	1859	1558	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	0	0
10	जम्मू और कश्मीर यूटी	-	-	0	0
11	झारखंड	1640	-	0	0
12	कर्नाटक	16745	480	0	25340
13	केरल	2794	-	0	0
14	मध्य प्रदेश	-	1171	0	0
15	महाराष्ट्र	62483	1532	0	4000
16	मणिपुर	64	129	0	0
17	मेघालय	1079	85	0	0
18	मिज़ोरम	389	45	0	0
19	नगालैंड	1628	42	0	0
20	उड़ीसा	16592	1870	107	22162
21	पुदुचेरी	495	-	0	1100
22	पंजाब	8424	0	0	0
23	राजस्थान	-	-	129	6700
24	तमिलनाडु	8525	-	0	2878
25	तेलंगाना	7223	1580	0	0
26	त्रिपुरा	1023	22	0	225
27	उत्तराखंड	4600	194	0	0
28	उत्तर प्रदेश	6985	-	89	0
29	पश्चिम बंगाल	11698	851	239	0
	कुल	203303	11723	565	73605

टिप्पणियाँ: 1. सीएसएफ और जीआरएफ कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी गई आरक्षित निधियां हैं।

2. एटीबी में प्राथमिक बाजार में राज्य सरकारों द्वारा निवेश किए गए 91 दिनों, 182 दिनों और 364 दिनों के खजाना बिल शामिल हैं।

3. - : लागू नहीं (योजना का सदस्य नहीं)।